Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में कुकर्म की घटना कारित करने के आरोपी राजीव को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजीव पुत्र बलजोर निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2020 में वादी के पुत्र के साथ कुकर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 674/2020 धारा 377 भादवि व 5(M)/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 09.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज पंचम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजीव को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नि0 श्री राकेश कुमार
प्रभारी मॉनिटरिंग सैल

श्री नरेंद्र सिंह पंवार विशेष लोक
अभियोजक पोक्सो एक्ट

उ0नि0 श्री नैपाल सिंह
विवेचक

है0का0 पंकज कुमार थाना
बडौत

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 09.07.2026**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.06.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री रोहित पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि 02 अभियुक्ताओं व अभियुक्त आकाश निवासी नामालूम के द्वारा उसके भाई मोहित को 07 लाख रुपये देने के लिये मानसिक रुप से प्रताडित किया गया व मांग पूरी न करने पर दहेज के झूठे मुकदमे में मोहित व उसके परिवार को फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी देकर प्रताडित कर आत्महत्या करने लिये उकसाया, जिससे तंग आकर उसके भाई मोहित कुमार पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के

मु0अ0सं0 435/26 धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- **01 अभियुक्ता।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-निरीक्षक अपराध श्री मधुर श्याम थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-म0उ0नि0 कीर्ति सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-है0का0 437 बलजीत सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 09.07.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 469/26 धारा 74/131/118(1)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 खुखरी बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 469/26 धारा 74/131/118(1)/351(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध खुखरी/बड़ा छुरा बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

विकास पुत्र सुरेन्द्र पाल उर्फ कालूराम निवासी ग्राम लुहारी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त खुखरी/बड़ा छुरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 मौ0आरिफ अली थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-है0का0 14 अश्वनी कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 139 नीरज कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 09.07.2026**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 471/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP-12S-2590 व निशांदेही पर थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 438/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. में चोरी हुई मो0सा0 अपाचे नं0 UP-14HC-9568 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री रजत पुत्र विशाल निवासी शान्ति नगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात अभियुक्त के द्वारा उसकी मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP-12S-2590 जिसका चैसिस नं0 MBLHA10EJ9HE34701 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 471/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 471/26 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई मो0सा0 हीरो स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP-12S-2590 व निशांदेही पर थाना कोतवाली बागपत के मु0अ0सं0 438/26 धारा 303(2) बी.एन.एस. में चोरी हुई मो0सा0 अपाचे नं0 UP-14HC-9568 बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अंकित पुत्र इन्द्रपाल निवासी ग्राम व थाना रमाला जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरणः-

- मो0साइकिल स्प्लैण्डर प्लस नं0 UP12S2590 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 471/26 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना बड़ौत)
- मो0साइकिल अपाचे नं0 UP-14HC-9568 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 438/26 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना कोतवाली बागपत)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1- उ0नि0 श्री निकलेश रस्तौगी थाना बड़ौत जनपद बागपत।
2- है0का0 233 गौतम कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
3- का0 373 बबलू कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
4- है0का0 542 अशोक कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।
5- रि0का0 264 दिनेश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनांक 09.07.2026

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 632/25 धारा 137(2)/65(1) बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 632/25 धारा 137(2)/65(1) बी.एन.एस. व 3/4(2) पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

विशाल पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम बावली पट्टी खोब्बा थाना बड़ौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री निकलेश रस्तोगी थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-है0का0 219 अरुण कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

3-रि0का0 228 आकाश कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत **दिनांक 09.07.2026**

थाना बड़ौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 402/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.06.2026 को थाना बड़ौत पर वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.दीपक उर्फ दीपू, 2. राजेश उर्फ राजू पुत्रगण किश्नलाल निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत व 5 से 06 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसके भतीजे वरूण पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत के साथ ईट-पत्थरों से मारपीट कर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 402/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 402/26 धारा 191(2)/191(3)/190/3(5)/103(1) बी.एन.एस. में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद हुई है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

दीपक उर्फ दीपू पुत्र किशन प्रकाश निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरणः-

- लाइसेंसी रिवाल्वर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

2-व0उ0नि0 श्री प्रियव्रत आर्य थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

3-है0का0 664 शेर सिंह थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

4-का0115 प्रशान्त थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 09.07.2026**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/109(1)/121(1)/132 बीएनएस व 7 सीएल एक्ट से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 08.07.2026 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि प्रथम पक्ष के अभियुक्तों 1-नसीबुद्दीन, 2-उमरदीन पुत्रगण शेर अहमद, 3-अफजाल, 4-हैदर, 5-मोईन, 6-रिहान पुत्रगण उमरदीन, 7-समर उर्फ निसार, 8-विशाल उर्फ छोटू, 9-समीर पुत्रगण नसीबुद्दीन तथा द्वितीय पक्ष के 1-कामिल, 2-सावेज, 3-आलिम पुत्रगण इदरीश, 4-अलीमुद्दीन पुत्र शेर अहमद, 5-कासिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासीगण ग्राम जहानगढ़ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत एवं 25 से 30 अज्ञात महिला एवं पुरुषों द्वारा एक-दूसरे को जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर, लाठी-डंडों एवं अन्य सामान से लैस होकर आपस में मारपीट की गई व फायरिंग की गयी। उक्त घटना से क्षेत्र में भय एवं दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया तथा भगदड़ मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस पार्टी द्वारा शांति व्यवस्था कायम करने एवं बीच-बचाव का प्रयास किए जाने पर उपरोक्त अभियुक्तों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर भी ईंट-पत्थर फेंककर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। थाना बिनौली पुलिस द्वारा मौके से चार अभियुक्तों 1-समर उर्फ निसार 2- समीर पुत्रगण नसीबूदीन, 3- कामिल पुत्र इदरीश, 4- कासिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासीगण ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल से ईट-पत्थर, रोडे व चप्पलें तथा डण्डे व लोहे का कोचा (पलटा) बरामद हुए हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 205/26 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109(1)/121(1)/132 बीएनएस तथा 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-समर उर्फ निसार पुत्र नसीबूद्दीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-समीर पुत्र नसीबूदीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-कामिल पुत्र इदरीश निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-कासिम पुत्र अलीमुद्दीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

5-विशाल उर्फ छोटू पुत्र नसीबुद्दीन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण –

- ईट-पत्थर, रोडे व चप्पलें
- डण्डे व लोहे का कोंचा (पलटा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-है0का0 231 सतेन्द्र नागर थाना बिनौली जनपद बागपत।

3-का0 542 प्रवीन कुंतल थाना बिनौली जनपद बागपत।

4-का0 308 नैतिक यादव थाना बिनौली जनपद बागपत।